राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1142/2017.....जिला.....हनुमानगढ़.....

उनवान – मैसर्स वी.डी.इम्पैकस, न्यू मार्केट, हनुमानगढ बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/09/2017	खण्डपीठ श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष श्री राजीव चौधरी, सदस्य अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार एवं विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यह अपील. अपीलीय प्राधिकारी राज्य कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बकाया मांग राशि 61,23,265/– में से राशि रूपये 34,01,814/– को एक वर्ष अथवा अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया गया अतः व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत पुनः स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा कर मुक्त कृषि यंत्रों का विक्रय किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्प्रेयर (sprayer) एवं उसके पार्ट्स कृषि यंत्र है तथा अधिनियम की अनुसूची–I की प्रविष्टि संख्या–I (a) के अनुसार स्प्रेयर व उसके पार्ट्स कर मुक्त है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन पर अविधिक रूप से करारोपण, ब्याज व शास्ति आरोपित की गयी। अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में स्थगत प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर दिनांक 27.07.2017 के स्थगन आदेश द्वारा केवल शास्ति को ही धारा 38(4) के तहत् स्थगित किया गया। अन्य शेष करारोपण व ब्याज की राशि को स्थगित नहीं किये जाने के कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है। अतः इस संबंध में अपीलीय अधिकारी के आदेश अविधिक है। इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक बकाया मांग राशि रू. 27,21,451/– की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.07.2017 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली के विरूद्ध स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 09.09.2016 एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.07.2017 का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के 04/09/17 लगातार.....2.	

अनुसार अपीलार्थी द्वारा विक्रय किये गये स्प्रेयर को Power Sprayer है जो ट्रेक्टर व पॉवर चलित कृषि उपकरणों है। जो अनुसूची–I की प्रविष्टि संख्या–I (c) में शामिल नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा कृषि यंत्रों का विक्रय किया गया है उसपर 12.5/14 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है। अनुसूची–I में सभी कृषि उपकरणों को विशिष्ट रूप से अंकित किया गया है। यद्यपि Spraryer को अनुसूची–I की प्रविशिष्टि संख्या–I(a) में अंकित है। किन्तु यह प्रविशिष्टि Ordinary Agricultural Implements से संबंधित है न कि Power से चलने वाले उपकरणों से संबंधित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा विक्रय किया गया माल सामान्य कृषि उपकरण नहीं होकर Power Spraryer व उसके पार्ट्स होना माना है। अनुसूची–I की प्रविशिष्ट संख्या–I (c) में Tractor or Power Driven Agricultural Implements को विशिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, जिसमें Sprayer अंकित नहीं है।

प्रकरण अभी अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है। प्रकरण के इस प्रक्रम गुणावगुण पर टिप्पणी नहीं की जा रही है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.07.2017 के आदेश द्वारा शास्ति की राशि को स्थगित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए बकाया मांग को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करता है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धार 38(4) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 अस्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के **तीन माह** में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

निर्णय सुनाया गया।

(राजीव चौधरी)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष